

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिक्षा/प्रार/विप्र/4480/प्रवेश/09-10/02

दिनांक- 9/7/09

सम-उपक

वीएसटीसी/एनटीसी/एनटीसी संरक्षित

राजकीय महाविद्यालय

जयपुर

विषय:- राज्य में निम्न क्षेत्र में तत्कालित शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालय में दो वर्षीय शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2009-10 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने बाबत।

साधन:- उप सारान्त सक्रिय प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग राजस्थान अधिपाल जयपुर के पत्र क्रमांक प-15(1) शिक्षा-31अगि/08 दिनांक 15/9/08 के क्रम में।

सम्बन्धित विभाग-सहित राज्य सरकार के पत्र दिनांक 15/9/08 के द्वारा निदेशावुसार पत्र की आज्ञा प्रति स्वरूप यह ज्ञात है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई नीति मिला संख्या आन सी प्रेमोविप 2 सैलर देप्लि स्ट्रेम नरबा 2008-09 को एनटीसी/एनटीसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु वर्ष 2009-10 में 50/100 सीटों की सांख्यिक प्रक्रिया प्रारम्भ करने की उद्दीष्टि एवं सम्भाव्यता प्रधान की जाती है। सम्बन्धित पत्र में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाने तथा पत्र में वर्णित विन्दुओं की पूर्णतया पालना प्रवेश प्रक्रिया में भी की जावे।

पुष्पाक्षी

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर



गुरुगुरुतमो धाम
NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

Northern Regional Committee

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

उत्तर क्षेत्रीय समिति

5
8/9/08

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART - III, SECTION 4

F.NRC/NCTE/RJ-1382/2008

61027

Order

Date:

5 SEP 2008

WHEREAS in terms of **Section 15(1)** of the NCTE Act, 1993 **R.C. Memorial Teacher Training College, Ram Singh Bhati Marg, Near Krishi Mandi, Marwar Junction, Pali - 306001, Rajasthan** has submitted an application (**Code No. APN-05001**) to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition/permission for starting **STC Course of Two** year duration with an annual intake of **50 (Fifty Only)** students on **08.11.2007**

2. AND WHEREAS on scrutiny/perusal of the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of report and videography, recommendation of the State Government, the Committee is satisfied that the institution/society fulfills the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the **Elementary** teacher education programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under **Section 15(3) (a)** of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition/permission to **R.C. Memorial Teacher Training College, Ram Singh Bhati Marg, Near Krishi Mandi, Marwar Junction, Pali - 306001, Rajasthan** for conducting **STC Course of Elementary (level) of Two** year duration with an annual intake of **50 (Fifty Only)** students from the academic session **2008-09** under clause 7(11) of NCTE Regulation, 2007 notified on 10-12-2007 subject to fulfillment of the following:

- The admission of students shall be only after affiliation by the examining body before the commencement of the academic year and the admission of students shall be completed well before the cut of date prescribed by the examining body for the academic year 2008-2009 failing which the recognition will be deemed to be for the next year academic year that is 2009-10.
- Formal orders for recognition / permission will operate for 2008-2009 only if requirement of 180 teaching days in the session would be fulfilled as per calendar of the University / Affiliating body.
- The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund and reserve fund accounts into joint accounts to be operated along with an officer of the **Northern Regional Committee**.
- The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.
- The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE Regulations, 2007 notified on 10-12-2007.

Conti...



कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004 (राजस्थान)
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone No. : 0141-2623501 (O), Telefax No. : 0141-2620116 (RD)

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302004 (Rajasthan)
Jurisdiction : U.P., Uttarakhand, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
E-mail : nrc@ncte-in.org • Website : <http://www.nrcncte.org>, www.ncte-in.org

NCTE NCTE NCTE NCTE NCTE NCTE NCTE NCTE NCTE NCTE NCTE NCTE NCTE NCTE NCTE NCTE

4. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be by other regulatory bodies like UGC, affiliating University Body, the State Government etc, applicable.

5. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

6. If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee shall withdraw the recognition as stipulated provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

7. The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure:-

- (i) Copy of the Application Form
- (ii) Land and Building Particulars
- (iii) Staff Profile
- (iv) Recognition letter
- (v) Information for having fulfilled the norms & standard and other required conditions.

(S.S. Rana)
Regional Director (I/C)
Tel. No.-0141-2623501

The Manager to Govt. of India
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi - 110 054

C.C. :-

✓ 1.

1. The Principal, **R.C. Memorial Teacher Training College, Ram Singh Bhati Marg, Near Krishi Mandi, Marwar Junction, Pali - 306001, Rajasthan**
2. The Secretary, **Education, Govt. of Rajasthan, Secretariat, Jaipur, Rajasthan.**
3. The Registrar, **SCERT, Udaipur, Rajasthan.**
4. Directorate of Higher Education, I/c Teacher Education, Govt. of Rajasthan, Directorate, Bikaner, Rajasthan.
5. The Secretary, Dept. of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001
6. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110 002.
7. Office Order file/ Institution file

Regional Director (I/C)

NCTE • NRC • JAIPUR

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक : प.15(7)शिक्षा-1/प्रा.शि./2008

जयपुर, दिनांक : 18/9/08

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

विषय:- राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्था को दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2008-09 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जयपुर से जारी मान्यता/सीट आवंटन पत्र के आधार पर निर्देशानुसार निम्नलिखित 54 निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 3 में अंकित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कॉलम संख्या 4 में अंकित सीटों की संख्या के साथ प्रवेश प्रक्रिया वर्ष 2008-09 हेतु नियमानुसार काउन्सलिंग में सम्मिलित करने की स्वीकृति सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर में एक मुश्त 50,000/- रुपये शास्ति (Non-refundable) के रूप में बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से जमा करवाये जाने की शर्त पर प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	2	3	4
(1)	महाराणा प्रताप एसटीसी स्कूल, बसेडी, धौलपुर	STC	50
(2)	चौधरी एम.एस. मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, तारा नगर, चुरू	STC	50
(3)	इंडियन पब्लिक प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, झुन्झुनू	STC	50
(4)	रावत महिला बीएड कॉलेज, हीरापुरा, अजमेर रोड, जयपुर	STC	50 (सीट वृद्धि)
(5)	राजस्थान कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग, खेडा, हिण्डोन सिटी, करौली	STC	50
(6)	पी.एल. दुबे मेमोरियल एसटीसी कॉलेज, जगपुरा, कोटा	STC	50
(7)	महिला विद्या मन्दिर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बेगवास, प्रतापगढ़	STC	50
(8)	मारुती नन्दन ऐलीमेन्ट्री (बीएसटीसी) टीटी कॉलेज, भरतपुर	STC	50
(9)	लोकमान्य तिलक एसटीसी कॉलेज, बिन्दायका, झोटवाडा, जयपुर	STC	50
(10)	टेगोर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, शेखपुर, कोटपूतली, जयपुर	STC	50
(11)	आर.एन.टी. इन्स्टीट्यूट ऑफ बीएसटीसी, कपासन, चित्तौड़गढ़	STC	50
(12)	विद्या भारती एसटीसी कॉलेज, टोडी नगर, सीकर	STC	50
(13)	संस्कार टीचर ट्रेनिंग स्कूल, शान्ति प्रिया नगर, जोधपुर	STC	50
(14)	टांक शिक्षा निकेतन बीएसटीसी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, लोहागल, अजमेर	STC	50
(15)	मदर इंडिया टीचर ट्रेनिंग स्कूल, खानपुर, झालावाड़	STC	50 (सीट वृद्धि)
(16)	गोपेश्वर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कंवरपुरा डुंगरजा, दीगोद, कोटा	STC	50
(17)	सौरभ कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग, गगवानभरा, तिजारा रोड, अलवर	STC	50
(18)	श्री कृष्ण टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, कोटपूतली, जयपुर	STC	50
(19)	उजास कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, सचिवालय सिटी, दधिया, सांगानेर, जयपुर	STC	50
(20)	शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, थाना राजाजी, राजगढ़, अलवर	STC	50
(21)	आर.एन.टी.टी. कॉलेज, स्याऊ-गोविन्दगढ़, चोमू, जयपुर	STC	50
(22)	विनायक कॉलेज, विनायक विहार, लक्ष्मणगढ़, सीकर	STC	50

(23)	राजस्थान टीचर ट्रेनिंग स्कूल, गणपति नगर, झुझुनू	STC	50
(24)	केरियर टीचर ट्रेनिंग स्कूल, गणपति नगर, झुझुनू	STC	50
(25)	महाराजा अग्रसेन कॉलेज, नगर, भरतपुर	STC	50
(26)	जीवनी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, गांव-पोस्ट अडुका, चिडावा, झुझुनू	STC	50
(27)	शेखावाटी एसटीसी कॉलेज, सर्किट हाउस के पीछे, जयपुर रोड, सीकर	STC	50
(28)	श्री नारायण टीचर ट्रेनिंग स्कूल, कुचामन सिटी, नागौर	STC	50
(29)	श्री राणा एसटीसी कॉलेज, बरवड, मकराना, नागौर	STC	50
(30)	अनुराधा महिला शि. प्र. महाविद्यालय, नाईवाला (सांगानेर), अजमेर रोड, जयपुर	STC	50
(31)	बी.आर. खोखर टीचर ट्रेनिंग स्कूल, कुचामन सिटी, नागौर	STC	50
(32)	स्वामी केशवानन्द टीटी गर्ल्स कॉलेज, लक्ष्मणगढ़, अलवर	STC	50
(33)	चिल्ड्रन टीटी कॉलेज, दादाबाडी, कांटा	STC	50 (सीट वृद्धि)
(34)	लॉड्स इंटरनेशनल कॉलेज फोर टीचर ट्रेनिंग, चिकानी, अलवर	STC	50
(35)	अलंकार महिला टीचर ट्रेनिंग स्कूल, बिशनावाला, सिरसी रोड, जयपुर	STC	50 (सीट वृद्धि)
(36)	बियानी गर्ल्स कॉलेज, विद्याधर नगर, जयपुर	STC	50 (सीट वृद्धि)
(37)	महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, सीतापुरा, जयपुर	STC	50
(38)	भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, किशनगढ़बास, अलवर	ETE (STC)	50
(39)	दीप इंटरनेशनल टीटी स्कूल, हरसौली, कोटकासिम, अलवर	STC	50
(40)	रतनी देवी बालिका बीएसटीसी विद्यालय, द्वारिकापुरी, हिण्डौनसिटी, करौली	STC	50
(41)	शादी लाल कटारिया मेमोरियल वोमेन्स टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, पिलानी, झुझुनू	DEd (STC)	50
(42)	भगवान महावीर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, गाँव-पोस्ट कचरोली, हिण्डौन, करौली	STC	50
(43)	श्री महालक्ष्मी महिला बेसिक स्कूल ट्रेनिंग कॉलेज, प्रतापनगर, जोधपुर	STC	50
(44)	बालाजी शिक्षण संस्थान, गाँव-आसनपुरा, कुचामनसिटी, नागौर	STC	50
(45)	माता केशरी देवी टी.टी. कॉलेज, राजोता खेतड़ी, झुझुनू	STC	50
(46)	मंत्रम एस.टी.सी. कमली नाई गिर्वा उदयपुर	STC	50
(47)	राजस्थान गर्ल्स एस.टी.सी. स्कूल बिसाऊ, मलसीसर झुझुनू	STC	50
(48)	बाबा नारायण दास महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, नीम का थाना, सीकर	STC	50
(49)	भारती शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चक-2 एम.एल. नथवाला, हनुमानगढ़ रोड, श्रीगंगानगर	STC	50 (सीट वृद्धि)
(50)	मदरलेण्ड टीचर ट्रेनिंग स्कूल पुरानी टोंक, टोंक	STC	50
(51)	आर.सी.मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, मारवाड़ जक्शन, पाली	STC	50
(52)	विनायक कॉलेज ऑफ एज्युकेशन गाँव पोस्ट सुरेन्द्रा, कोटपुतली, जयपुर	STC	50
(53)	जे.बी. टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट शार्दूल शहर श्रीगंगानगर	STC	50
(54)	श्री शिवा एस.टी.सी. कॉलेज बारनी खुर्द, भोपालगढ़, जोधपुर	STC	50

उपरोक्त वर्णित संस्थाओं में निम्न शर्तों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करवाई जावे।

1. प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी अकादमिक परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होनी चाहिये। समकक्ष परीक्षा के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक होगा। इसी के साथ अभ्यर्थी को सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 5 विषयों के साथ जिनमें से 3 विषय हिन्दी, अंग्रेजी व गणित आवश्यक रूप से हों, उत्तीर्ण होना चाहिये।
2. शैक्षिक सत्र 2008-09 में बीएसटीसी/एनटीटी पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्री-प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार वरीयता सूची के अनुसार किया जायेगा।